भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 538
25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आत्महत्या

538. श्री राहुल रमेश शेवलेः
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः
श्री भर्तृहरि महताबः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में किसानों की आत्महत्या के मामले गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बढ़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसानों को उनकी कृषि उपज की न्यूनतम लागत मूल्य (एमएसपी) के रूप में 150 से 200 प्रतिशत इनपुट लागत दी जा रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा महंगाई के मुद्दे को हल करने के लिए एमएसपी तय करते समय विकसित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उच्च मुद्रास्फीति और किसानों की आत्महत्या को ध्यान में रखते हुए किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए उपयुक्त एमएसपी प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों से फसली ऋण को माफ करने के लिए कोई जरुरी कदम प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भारत में 'दुर्घटना मृत्यु एवं आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्या के बारे में सूचना का संकलन और प्रसार करता है। आत्महत्या पर रिपोर्ट 2015 तक की ये इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2013, 2014 और 2015 के एडीएसआई रिपोर्ट का राज्यवार विवरण अनुबंध पर है। वर्ष 2016 के बाद की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है।

(ख) एवं (ग): राज्य सरकारों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों तथा अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक मौसम के लिए 22 अधिदेशित खरीफ एवं रबी के लिए एमएसपी फसलों और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त रेपसीड/सरसों तथा कोपरा के एमएसपी के आधार पर क्रमशः तोरिया और डी-हस्कड नारियल के लिए एमएसपी भी निर्धारित किया गया है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषिगत और गैर-कृषिगत क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों के साथ-साथ पानी और भूमि जैसे अनुकूल संसाधनों का तार्किक उपयोग और उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने पर विचार करता है।

केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। इन एमएसपी फसलों में देश के कुल कृषिगत उत्पादन का लगभग 99 प्रतिशत कवर होता है।

सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीददारी करने के लिए पारदर्शी तथा समरुप नीति मौजूद है। इस खरीद नीति के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर तथा भारत सरकार द्वारा अग्रिम तौर पर निर्धारित विशिष्टताओं (उचित औसत गुणवत्ता मानदण्ड) का अनुपालन करते हुए सरकारी एजेंसियों तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किसानों द्वारा लाए गए गेंहू और धान को केन्द्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जाती है। एफसीआई के साथ परामर्श से तैयार की गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा मोटे अनाजों की खरीद की जाती है। यद्यपि किसान अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है यदि उन्हें उचित मूल्य और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होते हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीददारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान अपनी उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करें और मजबूरन बिक्री न करें। प्रगतिशील कृषि मंडी सुधार, ई-नाम तथा 22000 ग्रामीण कृषि मंडियों (ग्राम) का उन्नयन करने का लक्ष्य भी किसानों को लाभकारी रिर्टन सुनिश्चित करना है।

(घ): वर्तमान में फसल ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित किसानों के लिए प्रथम 3 वर्षों/समग्र अवधियों (अधिकतम 5 वर्षों के अध्यधीन) के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट की दर से पुनर्गठित ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में, प्रभावित किसानों को प्रति वर्ष 3% की दर पर वार्षिक तत्काल पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एससी-एनईसी) की उप समिति की सिफारिश के आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा इस तरह के लाभों के अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। ।

******